

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १०५]

नई दिल्ली, बुधवार, मई ३, १९७३/वैशाख १३, १८९५

No. 105]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 3, 1973/VAISAKHA 13, 1895

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd May 1973

SUBJECT :—Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

No. 46-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 47-ITC (PN)/73 dated the 2nd April, 1973.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74 :—

Page No. of the Hand Book	Reference	Details of amendments
58	Sub-para 79(8)	The following may be added at the end of the existing sub-paragraph 79(8) :— “Small scale units whose requirement of imported raw materials is less than Rs. 50,000/- per annum will not be required to produce a statement of production and consumption.”
113	Sub-para 124(1)	In the fifth line, the words and figures “Rs. 5 lakhs” may be read as “Rs. one lakh.”

3. The Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74 may be deemed to have been amended accordingly.

S. G. BOSE MULLI
Chief Controller of Imports &

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 मई, 1973

विषय :—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक, 1973-74.

संख्या : 66-आई० टी० सी० (पी एन)/73.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 47-आई टी सी (पी एन)/73, दिनांक 2 अप्रैल, 1973 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक, 1973-74 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक, 1973-74 में निम्न-लिखित संशोधन उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

हैड बुक की पृष्ठ संख्या	संवर्ध	संशोधन के व्यौरे
1	2	3
58	उप-पैरा 79 (8)	वर्तमान उप-पैरा 79 (8) के अन्त में निम्न-लिखित को जोड़ा जाए :— “जिन लघु एककों की आयातित कच्चे माल की आवश्यकता 50,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम है, उनके लिए उत्पादन और खपत का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।”
113	उप-पैरा 124 (1)	पांचवीं पंक्ति में शब्द और अंक “5 लाख रुपये” को “एक लाख रुपये” पढ़ा जाए।

3. आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैड बुक, 1973-74 को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।